उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1
संख्या : 367/आठ–1–23–59विविध/2018
लखनऊ : दिनांक : 31 मार्च, 2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति–2022 निर्गत की गयी है। इस नीति के अधीन प्रदेश के अभिकरणों द्वारा लिए जाने वाले भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क एवं विकास शुल्क की दरों में कतिपय छूटें प्रदान करने का प्राविधान किया गया है।

2– अतएव उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 (अधिनियम संख्या–11 सन् 1973) की धारा–53 में वर्णित छूट संबंधी प्राविधान के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति–2022 से आच्छादित नई एवं विस्तारित की जा रही पर्यटन इकाईयों को भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क एवं विकास शुल्क से शत प्रतिशत छूट की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल द्वारा निम्नवत प्रस्तर–3 में वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती है।

3– उक्त छूटें सम्बन्धित विभाग/नोडल संस्था द्वारा लेटर ऑफ कम्फर्ट/पंजीकृत/अनुमोदन प्राप्त इकाईयों हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन देय होगी:–

3.1 इकाई का संचालन आगामी पाँच वर्षो तक किए जाने की बाध्यता होगी।

3.2 इकाई को निर्धारित अवधि तक न चलाने तथा अधिसूचना की किसी शर्त का उल्लंघन किए जाने पर शुल्क में दी गई छूट की समस्त धनराशि 15 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज सहित वापस करनी होगी, अन्यथा उसकी वसूली भू–राजस्व के बकाये की भाँति की जाएगी।

3.3 उपरोक्त नीतियों के अधीन सभी अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं आवश्यक स्वीकृतियाँ सम्बन्धित इकाईयों द्वारा स्वयं प्राप्त की जाएंगी और सम्बन्धित विभाग के निर्देशों/नीति का अनुपालन किया जाएगा। उक्त प्राविधान के उल्लंघन की दशा में सभी प्रोत्साहन एवं छूट निरस्त कर दिए जाएंगे।

3.4 इकाई के लिए उद्यमी द्वारा स्थल का चयन ऐसे स्थान पर किया जाएगा, जहाँ पर बिजली, सड़क, पानी, सीवर, नाला (ड्रेनेज) आदि वाह्य विकास की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

3.5 उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति–2022 से आच्छादित पर्यटन इकाइयाँ, यदि ऐसे स्थान पर प्रस्तावित हैं, जहाँ सड़क, बिजली, पानी, सीवर, नाला (ड्रेनेज) आदि वाह्य विकास की सुविधाएं उपलब्ध न हों तो उनकी व्यवस्था उद्यमी द्वारा स्वयं की जानी होगी तथा छूटें प्राप्त करने हेतु उक्त आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

आज्ञा से,
31/3/23
(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव।

E:/UO/UO 2022

संख्याः 367 (1)/आठ–1–23–59विविध/2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे इसे दिनांक 31 मार्च, 2023 के असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड 'ख' में प्रकाशित करायें तथा 10 मुद्रित प्रतियाँ इस अनुभाग को एवं 05–05 प्रतियाँ नीचे अँकित अधिकारियों की सीधे उन्हें उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
31.3.2023
(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्याः –367(1)/आठ–1–23–59विविध/2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन, कक्ष संख्या–209, सी–ब्लाक, लोक भवन, लखनऊ को उनके पत्र संख्या–907/77–6–2023–2(M)/2022 दिनांक 09.03.2023 के अनुक्रम में।
2. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महानिदेशक, पर्यटन निदेशालय, उ.प्र., लखनऊ।
4. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
5. अध्यक्ष/जिलाधिकारी, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
6. अध्यक्ष/जिलाधिकारी, नियन्त्रक प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं Invest Up at advantegeup@ investup.org.in and soiid6.up@gmail.com पर शेयर करने हेतु।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
31.3.2023
(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
उप सचिव।